

निर्णय बईजलास करतार सिंह पूनियों, आर0ए0एस0, अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

प्रकरण संख्या 22/18

दायरा- 04.05.18

राजस्थान सरकार जर्ज पुलिस अधीक्षक झालावाड़

सायल

बनाम

राकेश आ0 नरसिंह कोली निवासी कोली मोहल्ला बस स्टेण्ड झालावाड़

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :- गैर सायल स्वयं

-: आदेश :-

दिनांक :-25.07.19

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी थाना झालरापाटन द्वारा जर्ज पुलिस अधीक्षक झालावाड़ गैरसायल राकेश आ0 नरसिंह के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 3666 दिनांक 30.04.18 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना झालरापाटन जिला झालावाड़ में निम्न मुकदमें दर्ज है :-

क0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	210/16	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
2	231/16	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
3	240/16	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
4	65/17	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
5	292/17	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना



जिनमें में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्ज नोटिस तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से वकील श्री शैलेन्द्र जेन द्वारा वकालतनाम पेश किया गया परन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहे गैर सायल ने अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है--सोई बनाने का कार्य करके परिवार का भरण पोषण कर करता हूँ। अतः इस्तगासा खारिज फरमाकर प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।

मैंने गैर सायल की मौखिक बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मैं गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

Law
अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

--: आदेश :-

राकेश आ0 नरसिंह कोली निवासी कोली मोहल्ला बस स्टेण्ड झालावाड़ को दिनांक 26.07.2019 से 7 दिन (सात दिवस) के लिए जिला झालावाड़ की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे वह पुलिस थाना कोतावली बारां जिला बारां के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गॉजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000/-रु0 अक्षरे (दस हजार रूपये) के स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2019 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़
झालावाड़ (राज०)

